कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लोहरदगा।

(कृषि प्रभाग)

इच्छा की अभिव्यक्ति

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के पत्रांक 34 रॉची दिनांक 10.12.2020 के आलोक में झारखण्ड राज्य में एग्री क्लीनिक योजना प्रारंभ की जा रही है जिसका उद्देश्य किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं आय में वृद्धि करना है। इस योजना अंतर्गत सभी जिलों में प्रमण्डल स्तर पर एग्री क्लीनिक की स्थापना की जाएगी। जिसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ कार्ड, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संबंद्ध अन्य विषयों पर किसानों को परामर्श उपलब्ध करायी जाएगी।

योजना का लाभ :– एग्री क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल 45 अनुमंडल में ई–मोबाईल एप्स के माध्यम से किसान सूचना संचार क्षेत्र के दायरे में आ जाऐंगे। इसके पश्चात् जो भी समसामयिक कृषि विषयक सूचनाऍ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग किसानों तक पहुॅचाना चाहेगी वह सूचना उनके मोबाईल में भेजा जा सकता है। किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा– मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज़ खाद, कीटनाशी, सुक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य फसल सहत योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाऍ एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोहरदगा जिला के लिए एक एग्री क्लीनिक की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त है जिसके लिए 7 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त है।

एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसी/ संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जिसमें महिला समूह/ स्वयं सहायता समूह/ कृषक समूह/ सहकारी समितियॉ/ गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) हो सकते है कार्यकारी एजेंसियों/ संस्थाओं का चयन जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा किया जायेगा।

चयनित संस्थाओं की योग्यता :–

- चयनित एजेंसियों/संस्थाओं की एग्री क्लीनिक के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो/कृषि कार्यो में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- चयनित एजेंसियों/संस्थाओं को काली सूची में नहीं रखा गया है इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- चयनित एजेंसियों/संस्थाओं को पूर्व के तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करना होगा।
- चयनित एजेंसी/संस्था को अपने फर्म का पंजीकरण से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
- उक्त कार्य हेतु चयनित कमिटी का निर्णय मान्य होगा।

दल की संरचना – एग्री क्लीनिक के अंतर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जायेगा उनमें कुल 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक कर्मी की न्यूनतम योग्यता B.Sc (Agril) तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्युटर दक्षता (DCA) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इनकी कार्यवधि सुबह 9:00 बजे पूर्वाहन से शाम 5:00 बजे तक होगी। रविवार एवं N.I Act के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बन्द रहेगा।

दिनांक 31.01.2021 के पूर्व तक कार्यालय अवधि 10.00बजे से 5.00बजे अपराहन तक एग्री क्लीनिक संचालन से संबंधित आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा के कार्यालय में समर्पित किया जा सकता है।

अन्य आवश्यक जानकारी हेतु लोहरदगा NIC के बेबसाइट lohardaga.nic.in एवं atmalohardaga.co.in में अपलोड राज्यादेश 34 दिनाक 10.12.2020 देखा जा सकता है।

20.1.21	20.1.21	20/1/2021
जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा	उप विकास आयुक्त, लोहरदगा	उपायुक्त, लोहरदगा।